

आदेश

निदेशालय द्वारा प्रयोगशाला सहायक के पदों को भरने हेतु विज्ञप्ति क्रमांक-ई-33/लै0ए0/(सीधी भर्ती)/2013/459 दिनांक 01.07.13 के सन्दर्भ में जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन किये गये हैं वे ऑनलाईन आवेदन में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि हेतु ऑनलाईन आवेदन में घोषित शैक्षणिक योग्यता एवं व्यावसायिक योग्यता परीक्षा की अंक तालिका व प्रमाण-पत्र, जाति/वर्ग प्रमाण-पत्र, आयु प्रमाण-पत्र (सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण-पत्र), अन्य विशेष श्रेणी प्रमाण-पत्र, मूल अनुभव प्रमाण-पत्र एवं अन्य सम्बन्धित दस्तावेज/प्रमाण-पत्रों की व जो प्रमाण-पत्र विज्ञप्ति के माध्यम से चाहे गये हैं की समस्त मूल प्रतियों एवं इन सभी मूल प्रमाणपत्रों की प्रमाणित प्रतियों के अभ्यर्थी स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित दो सेट सहित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, हीराबाग, जयपुर में प्रातः 10:00 बजे व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करें। आवेदक को दस्तावेज सत्यापन के समय अपने आवेदन पत्र की दो हार्ड प्रतियों, पासपोर्ट साईज फोटो हेतु निर्धारित स्थान पर स्वहस्ताक्षरित फोटो लगाकर (दो प्रतियों में) आवेदन पत्र में सबसे नीचे हस्ताक्षर के पास स्याही से पुनः हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करनी होगी। नियत दिनांक को उपस्थित नहीं होने पर यह माना जावेगा कि अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है। दस्तावेजों का सत्यापन निदेशालय द्वारा जारी विस्तृत विज्ञप्ति एवं राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा।

क्र.सं.	दिनांक	आवेदन क्रमांक
1	17/03/2015	17120000001 से 17120000700 तक
2	18/03/2015	17120000701 से 17120001400 तक
3	19/03/2015	17120001401 से 17120002100 तक
4	20/03/2015	17120002101 से 17120002800 तक
5	21/03/2015	17120002801 से 17120003500 तक
6	22/03/2015	17120003501 से 17120004200 तक
7	23/03/2015	17120004201 से 17120004900 तक
8	24/03/2015	17120004901 से 17120005425 तक

(दिनेश कुमार जागिड़)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज. जयपुर

दिनांक : 13.3.15

क्रमांक:ई-33/एल.ए./नियुक्ति/2015/148

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. श्री गुजंन सोनी, रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर को उनके पत्रांक 971 दिनांक 12.03.2015 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि पत्र में उल्लेखित कार्यक्रमानुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, हीराबाग, जयपुर में उपस्थित होकर काउंसिलिंग का कार्य संपादित कराकर मेरिट लिस्ट उपलब्ध करावें।
5. निदेशक (तकनीकी) RISL को भेजकर निवेदन है कि उक्त अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु आदेश में वर्णित दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि को व्यक्तिगत उपस्थित होने के लिये उनके ऑनलाईन आवेदन पत्र में वर्णित मोबाइल नम्बर पर एस.एम.एस. एवं ई-मेल करवाने की व्यवस्था करावें।
6. प्रधानाचार्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, हीराबाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त काउंसिलिंग हेतु दो कमरों एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था करावें।
7. डा. के. सी. मीणा, अतिरिक्त निदेशक, ग्रामीण स्वास्थ्य, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त दिवसों में काउंसिलिंग में उपस्थित होकर काउंसिलिंग का कार्य संपादित करावें।
8. डा. एस. एम. मित्तल, संयुक्त निदेशक, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त दिवसों में काउंसिलिंग में उपस्थित होकर काउंसिलिंग का कार्य संपादित करावें।
9. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
10. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज. जयपुर